केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/137 दिनांक: 05.07.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00121
CICOM/R/2019/00381

अपीलकर्ता : श्री नवीन कुमार,
द्वारा - श्री किशोरी लाल,
पादरी की हवेली, रूस्तम पीर की गली,
पो0 - पटना सिटी, जिला - पटना,
बिहार - 800008.

निर्णय की तारीख: 05.07.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.05.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.06.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	194/28.06.2019 (14004/27.06.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.04.2019के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सात विंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके पतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संदर्भ संचिका (आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 22.04.2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय को आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित किया था जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 02.05.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्रीमती सविता तलूजा द्वारा दिनांक 16.05.2019 को वांछित सूचना प्रेषित की गई । आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3(1) से 3(5) के संदर्भ में श्रीमती श्रीमती सविता तलूजा द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है, इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है एवं विंदु सं. 3(6) एवं 3(7) के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा द्वारा आंशिक सूचना उपलब्ध करवाई गई है । इस संदर्भ में पूछे जाने पर श्रीमती सविता तलूजा द्वारा बताया गया कि कौन से मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे इसका पूरा विवरण आयोग की वेबसाईट के लिंक https://cic.gov.in/former-cic-and-ic पर उपलब्ध है । इससे अपीलकर्ता निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कब-कब एवं कितने सूचना आयुक्तों के पद रिक्त रहे । अत: अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि विंदु सं. 3(6) एवं 3(7) से संबंधित पूर्ण जानकारी के लिए दी गई लिंक में उपलब्ध विवरण का अवलोकन करें ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
05 JUL 2019
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।